>

Title: Need to protect and conserve Thatte Nahar in Aurangabad district, Maharashtra.

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद): मेरे संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गोगानाथ नगर में प्राचीन थट्टे नहर है। इस नहर की पाइप लाईन 6 से 7 किलामीटर लंबी और व्यास 8 से 12 इंच है और ये भूमि से 20 फुट नीचे है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक अधिसूचना दिनांक 22 सितंबर 2009 के माध्यम से इस नहर को केंद्रीय संरक्षित स्थल के रूप में अधिसूचित किया जिसके तहत 3 से चार मीटर और कहीं कहीं 5 से 10 मीटर की दूरी पर निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है, परंतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का क्षेत्रीय कार्यालय इस दूरी को 100 मीटर रखना चाहता है जिसके कारण दस दशकों से रहने वाले 25 हजार परिवारों की बसावटों को खतरा हो गया है। आश्चर्य की बात है कि एक सूचना के अधिकार के तहत भारीतय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बताया है कि थट्टे नहर को संरक्षित करने के संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है और न ही इसे राष्ट्रीय स्मारक धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। एक तरफ सूचना है कि राष्ट्रीय धरोहर में नहीं रखा है और दूसरी तरफ थट्टे नहरी को संरक्षित करने की सूचना कर दी गयी इससे संशय और संदेह पैदा हो रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि कोई इस तरह से रास्ता निकाला जाये जिससे थट्टे नहर को संरक्षित किया जाये और इस नहर के आसपास रहने वाले 25 हजार परिवार के बसावटों को भी कोई नुकसान न हो और साथ थट्टे नहर को संरक्षित करने के संबंध में जो संशय और संदेह है उसको भी दूर किया जाये।